



राजस्थान सरकार

सईदखां 732

v/5/56

193/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
(पीठासीन अधिकारी) पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण

कमांक : राजस्व/2024/ 4237

दिनांक : 10/9/24

—:आदेश:—

193/2024

2024/292

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिन्धीपुरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 278, 279 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमानप्रविष्टि(अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सिन्धीपुरा	278	742, 773	सदीक खां पुत्र उस्मानखां	सईद खां पुत्र उस्मानखां
2		279	839, 846		

(दूदाराम)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, पीपाड़शहर

दिनांक :- 10/9/24

कमांक :-सम/2024/ 4238 जो 4240

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी सिन्धीपुरा को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी सईद खां पुत्र उस्मानखां निवासी रईया नगर तहसील पीपाड़ शहर को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, पीपाड़शहर

रीडर शाखा